प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/IDCF/35/2018–19/1778-75 **दिनांक** 28**/05/2018**

विषय–प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018 के मध्य मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का पूर्व की भाँति प्रदेश में इस वर्ष **दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018 के मध्य समस्त जनपदों में मनाया जाना है।** आप अवगत हैं कि विगत वर्ष 2017–18 में आपके सक्रिय सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलता पूर्वक प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है।

शिशु मृत्युदर एवं बाल्यावस्था मृत्युदर में कमी लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश की बाल मृत्युदर 47/1000 जीवित जन्म है (एस0आर0एस0–2016) बाल्यावस्था में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है, जो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों कि दस्त के कारण मृत्यु का कारण बनता है, तथा दस्त रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है। जिसका उपचार ओ0आर0एस0 एवं जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है एवं बाल मृत्यु दर में 'कमी लाई जा सकती है। दस्त रोग विकासशील देशों में अधिक व्यापक रूप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण दूषित पेयजल, स्वच्छता एवं शौंचालय का अभाव तथा 05 वर्ष तक के बच्चों का कुपोषित होना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जाये। वर्ष 2018–19 में आयोजित Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF का उद्देश्य प्रदेश में "Zero" Childhood Death due to Diarrhoea के स्तर को प्राप्त करना है।

इस कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित रणनीति एवं उद्देश्य है –

1. बाल्यावस्था में दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य दस्त के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु गतिविधियों को बढ़ावा देना साथ ही उच्च प्राथमिकता व अतिसंवेदनशील समुदायों में जागरूकता प्रदान करना है।
3. समुदाय स्तर तक ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
4. स्वच्छता एवं हाथों को साफ रखने से विभिन्न रोगों से परिवार को सुरक्षित रखना।
5. ए0एन0एम0 द्वारा डायरिया के समुचित उपचार के अलावा व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता पारस्परिक संचार (Inter-Personal Communication) माध्यम से प्रदान करना।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) की सम्पूर्ण गतिविधियां **दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018** के मध्य संचालित की जायेंगी। इस निमित्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाड़े से पूर्व एवं पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियॉ आयोजित की जानी हैं।

लक्षित लाभार्थी –

1. समस्त ऐसे परिवार जिनमें 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों।
2. 05 वर्ष की उम्र तक के समस्त बच्चे जो पखवाड़े के दौरान दस्तरोग से ग्रासित हों।
3. 05 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे वाले परिवार को प्राथमिकता देना।
4. सब सेन्टर जहां पर ए0एन0एम0 न हो अथवा लम्बी छुट्टी पर हो।
5. अति सम्वेदनशील क्षेत्र–अरबन स्लम, हार्ड टू रीच एरिया, खानाबदोस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार ईट भट्टे आदि पर रहने वाले परिवार।

6. सफाई की कमी वाली जगहों पर निवास करने वाली जनसंख्या।
7. जनपद के ऐसे क्षेत्र जहां पूर्व में डायरिया आउटब्रेक हुआ हो एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र।
8. छोटे गांव या छोटे कस्बे जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0 सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
1	जनपदीय टास्क फोर्स/ जिला स्वास्थ्य समिति/ स्टेयरिंग कमेटी का गठन एवं बैठक का संचालन	• पखवाड़े के पूर्व जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना नीति तैयार करना (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्ययोजना गठन हेतु **संलग्नक–4** जनपद स्तर **संलग्नक–5** ब्लाक स्तर एवं **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा बनाया जाए)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	25 मई से 30 जून 2018
		• पखवाड़े के पूर्व एवं मध्य नियमित बैठक आयोजित कर भौतिक प्रगति, आपसी सहयोग एवं प्रगति पर समीक्षा कर निर्णायक कदम उठाना।	जिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी	पखवाड़े के मध्य साप्तहिक
2	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिये नोडल अधिकारी का चयन किया जाना	• पखवाड़े से पूर्व स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम हेतु माइक्रोप्लान बनवाना, सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ब्लॉक स्तरीय ऑरियेन्टेशन बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम से पूर्व पर्यवेक्षण का प्लान तैयार कराना। • आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुनिश्चित कराना। • भौतिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य मुख्यालय पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	30 मई से 10 जून 2018
3	कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **(अ)** ओ0आर0 एस0 एंव जिंक की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **(ब)** आवश्यक समाग्री की व्यवस्था करना	• नोडल अधिकारी द्वारा ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति का आंकलन कर पखवाड़े से पूर्व स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशा/ ए0एन0एम0 तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विगत माह/वर्षो में दस्त रोगों की स्थित समीक्षा करते हुये ऐसे सुदूर क्षेत्रों की आशाओं एवं ए0एन0एम0 एवं मोबाइल टीमों को आवश्यक ओ0आर0एस0 एंव जिंक उपलब्ध करा कर आशा को डिपो के रूप में चिन्हित करना एवं ओ0आर0एस0 कार्नर हेतु दिशानिर्देश देना। **(भारत सरकार के गाइडलाईन का संदर्भ ग्रहण करें)**	नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	10 जुलाई 2018 तक
4	तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन	• जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, सी0डी0पी0ओ0, बी0सी0पी0एम0 आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, ए0एन0 एम0 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को आई0डी0सी0एफ0 कार्यक्रम के तकनीकी विषय, गतिविधियां तथा उनकी भूमिका के सम्बंध में राज्य से प्रेषित प्रस्तुतिकरण एवं भारत सरकार द्वारा प्रेषित टूलकिट के माध्यम से उन्मुखीकरण कर प्रशिक्षित किया जाएगा। **(इस हेतु आशायें अपने मॉड्यूल 6–7 का उपयोग करें)**	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	अभियान से पूर्व 15 जून से 02 जुलाई 2018 के मध्य

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
5	आई0ई0सी0 सामाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• भारत सरकार की वैब साइट www.nhm. gov.in अथवा उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm. gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध हैं IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों के साथ ही मुद्रित कराया जाए।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01 जून से 25 जून 2018 तक
6	माइक्रोप्लानिंग /कार्ययोजना (अ) जनपद स्तरीय कार्य योजना	• जनपद स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–4** में लगे प्रारूप के अनुसार पखवाड़े पूर्व तैयार करायी जाए तथा प्रतिलिपि राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	16 जुलाई 2018 तक
	(ब) ब्लाक स्तर कार्य योजना	• ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–5** में लगे प्रपत्र के अनुसार (मोबाइल टीमों का गठन कर जिंक ओ0आर0एस0 कार्नरों एवं सहयोगी अनुश्रवण हेतु अधिकारीयों को नामित कर तैयार कर जनपद को उपलब्ध करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एव बी0सी0पी0एम0/ बी0पी0एम0	12 जुलाई 2018 तक
	ग्राम स्तरीय कार्य योजना	• ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा एवं आशा द्वारा **संलग्नक–7** पर नियोजन व रिर्पोटिगं हेतु आशाद्वारा तैयार करायी जाए।	ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी0पी0एम0	09 जुलाई 2018 तक
7	उदघाटन एवं कार्यक्रम का शुभारम्भ	• कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/ विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य से कराया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी	27 जुलाई 2018
8	आई0डी0 सी0एफ0 का अनुश्रवण	• राज्य स्तर द्वारा **संलग्गक –12**, जनपद स्तर पर **संलग्नक–13** एवं ब्लाक स्तर पर **संलग्नक–14** पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण पखवाडे की अवधि में अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इस निमित्ता एक्सेल प्रतिवेदन में संग्रह हेतु संलग्नक है। (कृपया इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन का सन्दर्भ ग्रहण करें।	समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि	27 जुलाई से 09 अगस्त, 2018

1– आशा द्वारा अपने गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले समस्त घरों का गृह भ्रमण एवं परिवार को परामर्श–

- पखवाडे से पूर्व आशा ग्राम स्तरीय प्लानिंग एवं क्रियान्वयन रिर्पोटिगं **संलग्नक–7** पर अपने गॉव के समस्त 5 वर्ष तक के बच्चो की सूची तैयार करेगी और चिन्हित बच्चो के घरों में भ्रमण करेगी और पखवाड़े के दौरान प्रत्येक पात्र परिवार जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो उस घर में ओ0आर0एस0 को बनाने एवं उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा दस्त से बचाव के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी एवं **ओ0आर0एस0 का एक पैकेट परिवार का प्रदान किया जायेगा।** इसकी सूचना **संलग्नक–7** पर दी जानी है।

- अतः पखवाड़े से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 एवं जिंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये एवं जिंक ओ0आर0एस0 कार्नर एवं मोबाइल टीमों हेतु योजना बना ली जाये।
- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों वाले सभी घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण करेगी।

गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा ओ0आर0एस0 का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन किया जायेगा ताकि देखभालकर्ता को ओ0आर0एस0 घोल बनाने की सही तरीके की जानकारी सम्भव हो सके एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी भी दी जायेगी। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–

1. दस्त के दौरान बच्चों को ओ0आर0एस0 एवं तरल पदार्थ दिया जाये।
2. जिंक का भी उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को अवश्य किया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरान्त भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए। (**02 से 06 माह तक आधी गोली एवं 07 माह से 05 वर्ष तक एक गोली**) जिंक का प्रयोग करने से अगले 02 या 03 महीने तक डायरिया होने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. जिंक और ओ0आर0एस0 के उपयोग के उपरान्त भी डायरिया ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
4. बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, ऊपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
5. उम्र के अनुसार शिशु बाल पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाये।
6. पीने हेतु स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाये।
7. खाना बनाने से पूर्व एवं बच्चे का मल साफ करने के उपरान्त साबुन से हाथ धो लेना चाहिये।
8. डायरिया होने पर ओ0आर0एस0 और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
9. बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द कर दिया जाये।
10. डायरिया को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये।

बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

- पानी जैसा लगातार मल का होना।
- बार–बार उल्टी होना।
- अत्यधिक प्यास लगना।
- पानी न पी पाना।
- बुखार हो।
- मल में खून आ रहा हो।

- जिन घरों में 02 वर्ष तक के बच्चें हैं उनकी मांताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की भी जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।

नोट – पखवाड़े के मध्य दस्त रोग से यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो ऐसे केसों की जानकारी आशा अपने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य देगी। प्रभारी अधिकारी सभी केसों की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

2– जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर स्थापित करना

अ– ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य इकाई, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आगनंवाड़ी केन्द्रों और चिन्हित चिकित्सा इकाई/निजी चिकित्सालय/प्राईवेट प्रैक्टीशनर के यहां स्थापित किये जायें।
इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर आई0ए0पी0 (इण्डियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स) एवं आई0एम0ए0 (इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन) का भी सहयोग लिया जाये।

ब– ओ0आर0एस0 जिंक कार्नर को स्थापित करने के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में पूर्ण जानकारी दी गयी है अपने स्तर से इसकी प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर स्थापित करने के लिये उपलब्ध करा दें।

3– ओ0आर0एस0 एवं जिंक हेतु आशाओं को डिपो के रूप में स्थापित करना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा के पास अतिरिक्त ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता हर समय रहे। आशा द्वारा यदि उनका उपयोग कर लिया जाये तो सम्बन्धित ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने स्टोर से इसकी आपूर्ति करते रहें।

4– शहरी क्षेत्रों एवं सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का गठन कराना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन शहरों में घुमन्तु परिवार, खानाबदोस, अन्य असेवित समाज के बच्चों हेतु ओ0आर0एस0 के उपयोग के प्रति बढावा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाय एवं जिकं ओ0आर0एस0 कार्नर की स्थापना सुनिश्चित की जाय। दस्त से ग्रसित बच्चो को आवश्यकता अनुसार जिंक और ओ0आर0एस0 प्रदान कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाये।

5– हाथ धोने का प्रर्दशन सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं वी0एच0एन0डी0 सत्रों पर किया जाये।

जनपद के समस्त स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं वी0एच0एन0डी0 सत्र पर इस गतिविधि को आयोजित किया जाना है साथ ही आर0बी0एस0के0 टीमें भी अपने नियमित भ्रमण के दौरान इस पखवाड़े के मध्य अपनी देख–रेख में इस गतिविधि को आयोजित करायें तथा क्षेत्र के अन्य छूटे हुये स्कूलों में भी भ्रमण के समय गतिविधि को आयोजित कराते रहें।

अ– जनपद के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में गतिविधि आयोजित की जाये साथ ही प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाना है।

ब– हाथ धोने के सही तरीके के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने एवं हाथ धोने के स्थान पर पोस्टर लगाये जायें।

स– पखवाड़े के दौरान प्रति–दिन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व के विषय में जानकारी दी जाये।

द– समस्त स्कूलों में प्रति दिन मिड डे मील के समय सभी बच्चों को पोस्टर में दिये गये चरणों के अनुसार साबुन–पानी से हाथ धोना सिखाया जाये।

6– पखवाड़ा मनाये जाने हेतु सामान्य गतिविधियां –

1. **जनपद स्तर पर पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया जाये। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य व्यक्ति से कराया जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0/आई0एम0ए0/पी0आर0आई0/आई0सी0डी0एस0/शिक्षा विभाग एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।**
2. ए0एन0एम0 अपने पूर्व निर्धारित वी0एच0एन0डी0 अनुसार संलग्नक–06 पर योजना बनाकर पखवाड़े के दौरान भ्रमण करेगी।
3. प्रतिरक्षण कार्य के अतिरिक्त इस पखवाड़े की जानकारी समुदाय में देगी। गंभीर दस्त रोग के हानिकारक प्रभाव, दस्त रोग की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, स्तनपान आदि विषयों पर चार्ट, पोस्टर जैसे मुद्रित सामग्री एवं अपने फिलपबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। ओ0आर0एस0 घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी। वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 सत्र में आने वाली माताओं को ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगी तथा आवश्यकता के अनुसार पैकेट वितरण करेगी।
4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को इस पखवाड़े की जानकारी देकर ग्राम में स्वच्छता का प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरेलू शौचालय के लाभ एवं निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाओं से निर्माण में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाये।
5. **विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण–** दस्त प्रबंधन गतिविधियों के विषय में समस्त कार्यकर्ताओं को विशेष बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाए तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में तथा उसमें प्रयोग होने वाले रिपोर्टिंग प्रपत्र की जानकारी दी जाये तथा प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जायें।
6. **अन्य विभागों से समन्वय–** जनसमुदाय को जागरूक करने के लिए अन्य विभागों से समन्वय कर रेडियो एवं न्यूज़ पेपर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए तथा अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग, इंडियन एकैडमी आफ पीडियाट्रिक्स, आई0एम0ए0 से समन्वय स्थापित किया जाए इसके अतिरिक्त दस्त प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहीं स्वैच्छिक सहयोगी संस्थायें (UNICEF, UP-TSU, Nutrition International, Save the Children) तथा जनपद में कार्य कर रही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उक्त पखवाड़े का आयोजन किया जाये।

7– आई0ई0सी0 एवं प्रचार प्रसार

उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित संचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय –

- स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार।
- आकाशवाणी।
- दूरदर्शन।
- प्रेस कॉन्फ्रैन्स।
- अन्तर्वैयक्तिक संचार (Inter-Personal Communication).
- गोष्ठी, महिला/बालिकाओं के विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, आदि।
- बैनर, पोस्टर, एवं हैण्डबिल, दीवाल लेखन।
- एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

नोट– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई0ई0सी0 मेटीरियल,पोस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार की वैब साईट www.nrhm.gov.in. एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वैब साइट www.upnrhm.gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी0वी0 एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध है, उक्त आई0ई0सी0 सामग्री को डाउनलोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाये।

8– आशा के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि –

आशाओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट का वितरण करने हेतु रू0 01 प्रति पैकेट की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा, इस पखवाडा हेतु प्रति आशा को प्रोत्साहन **राशि रू0 100/–** खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

9– शहरी क्षेत्र हेतु रणनीति –

- मोबाइल टीमों द्वारा पखवाड़े हेतु **संलग्नक–08** पर योजना बनाकर सफल संचालन करना।
- जिला चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला में इस पखवाड़े के बैनर पोस्टर लगाये जायें।
- स्थानीय रेडियो, एफ0एम0 रेडियो पर इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर पंचायत वार्ड के कर्मचारियों आदि द्वारा मलिन बस्ती में घर–घर जा कर ओ0आर0एस0 पैकट वितरण कराया जाये। जनपदों में शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्थापित है उनका भी इस अभियान में सहयोग लिया जाये।
- मेडिकल कॉलेजों, शहरी हैल्थ पोस्ट/डिसपैन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा प्राईवेट नर्सिग होम/क्लीनिक, आदि में भी ओ0आर0 एस0 कॉर्नर स्थापित कराये जाये इसमें स्थानीय इण्डियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आई0ए0पी0) एवं इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आई0एम0ए0) का सहयोग लिया जाये।

10– रिपोर्टिंग –

- अभियान के प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त आशा अपनी रिपोर्ट निर्धारित **संलग्न प्रपत्र–07** पर ए0एन0एम0 को प्रेषित करेगी।
- आशा से प्राप्त रिपोर्ट ए0एन0एम0 संलग्न उपकेन्द्र **प्रपत्र संख्या–09** पर संकलित कर सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 02 दिन के अन्दर जमा करेगी।
- ए0आर0ओ0/बी0सी0पी0एम0 प्राप्त रिपोर्टों को ब्लाक स्तरीय रिर्पोटिगं **प्रपत्र संख्या–10** पर संकलित कर, उसकी रिर्पोट 02 दिन के अन्दर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगें।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा एवं जॉच करते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के उपरान्त संकलित **रिपोर्ट प्रपत्र–11** पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को पखवाड़े के उपरान्त 02 दिन के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

नोट – भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन एवं टूल किट ई–मेल द्वारा साथ में प्रेषित किया जा रहा है। अवलोकन कर उक्त पखवाड़े का माइक्रोप्लान तैयार कर पखवाड़े को सफल बनायें।

11– वित्त पोषण –

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। स्वीकृत की गयी धनराशि की सीमा तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध Uncommitted/ unspent धनराशि से किया जाये एवं व्यय विवरण जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष सम्बन्धित FMR Code में ही अंकित किया जाना है, व्यय विवरण वित्त अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) के आयोजन हेतु FMR Code-9.5.2.23 पर One day orentation meeting for IDCF गतिविधि के लिये, FMR Code- 12.2.7 पर IEC and Printing Cost के लिये, FMR Code- 6.2.2.8.c पर Procurement of ORS Pkt. के जनपद स्तर पर क्रय के लिये तथा FMR Code- **3.1.1.7** पर ASHA प्रतिपूर्ति राशि के लिये धनराशि मदवार तथा जनपदवार संलग्न तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को स्वीकृत की गयी है।

- जनपद स्तर पर ओ0आरएस0 पैकेट का क्रय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से संचालित "UPDVDMS" (Uttar Pradesh Drugs and Vaccine Distribution Management System) पर उपलब्ध दर अनुबन्ध के आधार पर नियमानुसार किया जाना है। ओ0आर0एस0 पैकट का क्रय आदेश समय से निर्गत कर उपलब्धता सुनिश्चित करायें।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018 के मध्य मनाये जाने हेतु गतिविधियों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सापोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत उपलब्ध वाहनों एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक को उपलब्ध कराये गये वाहन का उपयोग किया जायेगा।

12– एस्पिरेशनल जनपदों (Aspirational districts) हेतु अतिरिक्त योजना –

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 08 जनपदों (श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, चन्दौली, सोनभद्र एवं फतेहपुर) को एस्पिरेशनल जनपदों (Aspirational districts) के रूप में चिहिन्त किया गया है। इन सभी जनपदों में IDCF-2018 के क्रियान्वयन की समस्त गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना है जैसे ओ0आर0एस0 पैकेट एवं जिंक टैबलेट का जनपद स्तर पर क्रय तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य केन्द्रों का अभिमुखीकरण एवं जनसमुदाय में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इन सभी जनपदों में IDCF-2018 के क्रियान्वयन की समस्त गतिविधियों का निरीक्षण राज्य स्तरीय अधिकारियों (मॉनीटर) द्वारा किया जायेगा। विद्यालयों में हाथ धोने की प्रक्रिया एवं शौंचालयों के उपयोग के महत्व को समझाने हेतु गतिविधियां संचालित की जायेगी। साथ ही स्कूलो में पानी की टंकियों की सफाई भी इस दौरान अवश्य की जाये।

13– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) के दौरान जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी /नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति–दिन क्षेत्र का भ्रमण एवं कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण करेंगें साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लाक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक भी अलग–अलग क्षेत्रों में जा कर कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगें तथा अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण उ0प्र0 से समन्वय स्थापित कर पखवाड़े के दौरान जनपदों भ्रमण कर कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस पखवाड़े में विशेष भ्रमण कार्यक्रम बना कर इस पखवाड़े का अनुश्रवण करने का कष्ट करें, तथा अपनी आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें तथा प्रति जनपद 01 मण्डलीय संयुक्त निदेशक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रम सफल संचालन सुनिश्चित करें।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम दिनांक 27 जुलाई 2018 से 09 अगस्त 2018 के माध्य मनाये जाने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 के ई–मेल–jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल–gmchildhealthnrhm@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, प0क0 महानिदेशालय के मो0न0 09415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/IDCF/35/2018–19/ दिनांक /05/2018

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
15. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
16. महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेन्ट/नियमित टीकाकरण/कम्युनिटी प्रोसेस/आई0ई0सी0/आर0बी0एस0के0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 उ0प्र0 लखनऊ।
17. समस्त, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
18. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
19. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल (एन0आई0), सेव दा चिल्ड्रेन, लखनऊ, उ0प्र0।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

District wise Funds Allocation for Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF Activity 2018-19										
S.N.	District	1 Day Orientation at district & Block	IEC Budget	ORS Procurement		ASHA Incentive				Total funds (Amount in Rs.)
		One day orentation meeting for IDCF Programme (Rs.)	IEC and Printing Cost DCF (Rs.)	Target under 5 Year children	procurement of ORS for IDCF Programme (Rs.)	No. of Urban ASHAs	No. of Rural ASHAs	Total No. of ASHAs	IDCF ASHA Incentive	
		1	*2*	*3*		*4*				
FMR Code		9.5.2.23	12.2.7	6.2.2.8.c		3.1.1.7				
1	Agra	150000	118000	478787	1019816	625	2806	3431	343100	1630916
2	Aligarh	150000	118000	401523	855244	415	2850	3265	326500	1449744
3	Allahabad	150000	118000	651359	1387395	340	4371	4711	471100	2126495
4	Ambedkar Nagar	150000	118000	262160	558401	35	2372	2407	240700	1067101
5	Amethi	150000	118000	266079	566748	4	2250	2254	225400	1060148
6	Amroha (JP Nagar)	150000	118000	200963	428051	66	1419	1485	148500	844551
7	Auraiya	150000	118000	149980	319457	0	1266	1266	126600	714057
8	Azamgarh	150000	118000	504548	1074687	39	4220	4259	425900	1768587
9	Baghpat	150000	118000	142315	303131	38	1028	1066	106600	677731
10	Bahraich	150000	118000	380146	809711	37	3191	3228	322800	1400511
11	Ballia	150000	118000	352319	750439	34	2919	2953	295300	1313739
12	Balrampur	150000	118000	234876	500286	20	1979	1999	199900	968186
13	Banda	150000	118000	196676	418920	6	1523	1529	152900	839820
14	Barabanki	150000	118000	356072	758433	6	3258	3264	326400	1352833
15	Bareilly	150000	118000	488027	1039498	226	2903	3129	312900	1620398
16	Basti	150000	118000	268974	572915	28	2323	2351	235100	1076015
17	Bijnor	150000	118000	402621	857583	75	3070	3145	314500	1440083
18	Budaun	150000	118000	348904	743166	72	2563	2635	263500	1274666
19	Bulandshahar	150000	118000	382359	814425	154	2291	2445	244500	1326925
20	Chandauli	150000	118000	213416	454576	12	1953	1965	196500	919076
21	Chitrakoot	150000	118000	108268	230611	6	852	858	85800	584411
22	Deoria	150000	118000	338657	721339	32	2930	2962	296200	1285539
23	Etah	150000	118000	192465	409950	18	1492	1510	151000	828950
24	Etawah	150000	118000	172590	367617	37	1372	1409	140900	776517
25	Faizabad	150000	118000	269774	574619	35	2556	2591	259100	1101719
26	Farukkhabad	150000	118000	206297	439413	91	1497	1588	158800	866213

District wise Funds Allocation for Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF Activity 2018-19										
S.N.	District	1 Day Orientation at district & Block	IEC Budget	ORS Procurement		ASHA Incentive				Total funds (Amount in Rs.)
		One day orentation meeting for IDCF Programme (Rs.)	IEC and Printing Cost DCF (Rs.)	Target under 5 Year children	procurement of ORS for IDCF Programme (Rs.)	No. of Urban ASHAs	No. of Rural ASHAs	Total No. of ASHAs	IDCF ASHA Incentive	
		1	*2*	*3*		*4*				
FMR Code		9.5.2.23	12.2.7	6.2.2.8.c		3.1.1.7				
27	Fatehpur	150000	118000	287732	612869	38	2311	2349	234900	1115769
28	Firozabad	150000	118000	272876	581226	216	1664	1880	188000	1037226
29	Gautam Buddha Nagar	150000	118000	183361	390559	110	778	888	88800	747359
30	Ghaziabad	150000	118000	369234	786468	285	688	973	97300	1151768
31	Ghazipur	150000	118000	395936	843344	30	3623	3653	365300	1476644
32	Gonda	150000	118000	375023	798799	5	3186	3191	319100	1385899
33	Gorakhpur	150000	118000	484850	1032731	308	3603	3911	391100	1691831
34	Hamirpur	150000	118000	120661	257008	12	1104	1116	111600	636608
35	Hapur	150000	118000	140227	298684	71	717	788	78800	645484
36	Hardoi	150000	118000	447156	952442	34	3550	3584	358400	1578842
37	Hathras	150000	118000	171116	364477	30	1232	1262	126200	758677
38	Jalaun	150000	118000	182596	388929	51	1381	1432	143200	800129
39	Jaunpur	150000	118000	489199	1041994	9	4145	4154	415400	1725394
40	Jhansi	150000	118000	218666	465759	116	1260	1376	137600	871359
41	Kannauj	150000	118000	181207	385971	14	1492	1506	150600	804571
42	Kanpur Dehat	150000	118000	196190	417885	8	1700	1708	170800	856685
43	Kanpur Nagar	150000	118000	499787	1064546	457	1686	2143	214300	1546846
44	Kasganj	150000	118000	157179	334791	16	1150	1166	116600	719391
45	Kaushambi	150000	118000	174530	371749	3	1660	1663	166300	806049
46	Kushi Nagar (Padrauna)	150000	118000	389171	828934	11	3392	3403	340300	1437234
47	Lakhimpur Kheri	150000	118000	438659	934344	9	3552	3561	356100	1558444
48	Lalitpur	150000	118000	133116	283537	3	982	985	98500	650037
49	Lucknow	150000	118000	501482	1068157	566	1551	2117	211700	1547857
50	Maharajganj	150000	118000	291295	620458	13	2666	2679	267900	1156358
51	Mahoba	150000	118000	95746	203939	19	697	716	71600	543539
52	Mainpuri	150000	118000	201884	430013	42	1562	1604	160400	858413

District wise Funds Allocation for Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF Activity 2018-19										
S.N.	District	1 Day Orientation at district & Block	IEC Budget	ORS Procurement		ASHA Incentive				Total funds (Amount in Rs.)
		One day orentation meeting for IDCF Programme (Rs.)	IEC and Printing Cost DCF (Rs.)	Target under 5 Year children	procurement of ORS for IDCF Programme (Rs.)	No. of Urban ASHAs	No. of Rural ASHAs	Total No. of ASHAs	IDCF ASHA Incentive	
		1	*2*	*3*		*4*				
FMR Code		9.5.2.23	12.2.7	6.2.2.8.c		3.1.1.7				
53	Mathura	150000	118000	277809	591733	151	1788	1939	193900	1053633
54	Mau	150000	118000	241008	513347	32	1751	1783	178300	959647
55	Meerut	150000	118000	376774	802529	588	1688	2276	227600	1298129
56	Mirzapur	150000	118000	272633	580708	30	2148	2178	217800	1066508
57	Moradabad	150000	118000	342920	730420	230	2218	2448	244800	1243220
58	Muzaffar Nagar	150000	118000	292969	624024	72	2267	2339	233900	1125924
59	Pilibhit	150000	118000	222653	474251	34	1426	1460	146000	888251
60	Pratapgarh	150000	118000	346866	738825	4	3041	3045	304500	1311325
61	Raebareli	150000	118000	281000	598530	28	2305	2333	233300	1099830
62	Rampur	150000	118000	255241	543663	62	1705	1767	176700	988363
63	Saharanpur	150000	118000	378613	806446	228	2695	2923	292300	1366746
64	Sambhal	150000	118000	235615	501860	38	1776	1814	181400	951260
65	Sant Kabir Nagar	150000	118000	187359	399075	4	1586	1590	159000	826075
66	SR Nagar (Bhadohi)	150000	118000	169862	361806	18	1355	1373	137300	767106
67	Shahjahanpur	150000	118000	328136	698930	131	2597	2728	272800	1239730
68	Shamali	150000	118000	159349	339413	27	982	1009	100900	708313
69	Shravasti	150000	118000	121819	259474	3	1114	1117	111700	639174
70	Siddharth Nagar	150000	118000	279080	594440	12	2393	2405	240500	1102940
71	Sitapur	150000	118000	489022	1041617	42	3944	3986	398600	1708217
72	Sonbhadra	150000	118000	203569	433602	16	1548	1564	156400	858002
73	Sultanpur	150000	118000	239277	509660	45	2556	2601	260100	1037760
74	Unnao	150000	118000	339964	724123	40	2623	2663	266300	1258423
75	Varanasi	150000	118000	402435	857187	285	2083	2368	236800	1361987
Total Fund		**11250000.00**	**8850000.00**	**21813007**	**46461707.00**	**7047**	**160175**	**167222**	**16722200.00**	**83283907.00**

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/IDCF/35/2018–19/ दिनांक 28/05/2018

विषय–प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018 के मध्य मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का पूर्व की भाँति प्रदेश में इस वर्ष **दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018 के मध्य समस्त जनपदों में मनाया जाना है।** आप अवगत हैं कि विगत वर्ष 2017–18 में आपके सक्रिय सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलता पूर्वक प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है।

शिशु मृत्युदर एवं बाल्यावस्था मृत्युदर में कमी लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश की बाल मृत्युदर 47/1000 जीवित जन्म है (एस0आर0एस0–2016) बाल्यावस्था में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है, जो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों कि दस्त के कारण मृत्यु का कारण बनता है, तथा दस्त रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है। जिसका उपचार ओ0आर0एस0 एवं जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। दस्त रोग विकासशील देशों में अधिक व्यापक रूप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण दूषित पेयजल, स्वच्छता एवं शौंचालय का अभाव तथा 05 वर्ष तक के बच्चों का कुपोषित होना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जाये। वर्ष 2018–19 में आयोजित Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF का उद्देश्य प्रदेश में "Zero" Childhood Death due to Diarrhoea के स्तर को प्राप्त करना है।

इस कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित रणनीति एवं उद्देश्य है –

1. बाल्यावस्था में दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य दस्त के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु गतिविधियों को बढ़ावा देना साथ ही उच्च प्राथमिकता व अतिसंवेदनशील समुदायों में जागरूकता प्रदान करना है।
3. समुदाय स्तर तक ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
4. स्वच्छता एवं हाथों को साफ रखने से विभिन्न रोगों से परिवार को सुरक्षित रखना।
5. ए0एन0एम0 द्वारा डायरिया के समुचित उपचार के अलावा व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता पारस्परिक संचार (Inter-Personal Communication) माध्यम से प्रदान करना।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) की सम्पूर्ण गतिविधियां **दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018** के मध्य संचालित की जायेंगी। इस निमित्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाड़े से पूर्व एवं पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियॉं आयोजित की जानी हैं।

लक्षित लाभार्थी –

1. समस्त ऐसे परिवार जिनमें 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों।
2. 05 वर्ष की उम्र तक के समस्त बच्चे जो पखवाड़े के दौरान दस्तरोग से ग्रासित हों।
3. 05 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे वाले परिवार को प्राथमिकता देना।
4. सब सेन्टर जहां पर ए0एन0एम0 न हो अथवा लम्बी छुट्टी पर हो।
5. अति सम्वेदनशील क्षेत्र–अरबन स्लम, हार्ड टू रीच एरिया, खानाबदोस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार ईट भट्टे आदि पर रहने वाले परिवार।

6. सफाई की कमी वाली जगहों पर निवास करने वाली जनसंख्या।
7. जनपद के ऐसे क्षेत्र जहां पूर्व में डायरिया आउटब्रेक हुआ हो एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र।
8. छोटे गांव या छोटे कस्बे जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0 सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
1	जनपदीय टास्क फोर्स/ जिला स्वास्थ्य समिति/ स्टेयरिंग कमेटी का गठन एवं बैठक का संचालन	• पखवाड़े के पूर्व जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना नीति तैयार करना (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्ययोजना गठन हेतु **संलग्नक–4** जनपद स्तर **संलग्नक–5** ब्लाक स्तर एवं **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा बनाया जाए)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	25 मई से 30 जून 2018
		• पखवाड़े के पूर्व एवं मध्य नियमित बैठक आयोजित कर भौतिक प्रगति, आपसी सहयोग एवं प्रगति पर समीक्षा कर निर्णायक कदम उठाना।	जिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	पखवाड़े के मध्य साप्तहिक
2	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिये नोडल अधिकारी का चयन किया जाना	• पखवाड़े से पूर्व स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम हेतु माइक्रोप्लान बनवाना, सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ब्लॉक स्तरीय ऑरियेन्टेशन बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम से पूर्व पर्यवेक्षण का प्लान तैयार कराना। • आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुनिश्चित कराना। • भौतिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य मुख्यालय पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	30 मई से 10 जून 2018
3	कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **(अ)** ओ0आर0 एस0 एंव जिंक की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **(ब)** आवश्यक समाग्री की व्यवस्था करना	• नोडल अधिकारी द्वारा ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति का आंकलन कर पखवाड़े से पूर्व स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशा/ ए0एन0एम0 तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विगत माह/वर्षो में दस्त रोगों की स्थित समीक्षा करते हुये ऐसे सुदूर क्षेत्रों की आशाओं एवं ए0एन0एम0 एवं मोबाइल टीमों को आवश्यक ओ0आर0एस0 एंव जिंक उपलब्ध करा कर आशा को डिपो के रूप में चिन्हित करना एवं ओ0आर0एस0 कार्नर हेतु दिशानिर्देश देना। **(भारत सरकार के गाइडलाईन का संदर्भ ग्रहण करें)**	नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	10 जुलाई 2018 तक
4	तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन	• जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, सी0डी0पी0ओ0, बी0सी0पी0एम0 आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, ए0एन0 एम0 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को आई0डी0सी0एफ0 कार्यक्रम के तकनीकी विषय, गतिविधियां तथा उनकी भूमिका के सम्बंध में राज्य से प्रेषित प्रस्तुतिकरण एवं भारत सरकार द्वारा प्रेषित टूलकिट के माध्यम से उन्मुखीकरण कर प्रशिक्षित किया जाएगा। **(इस हेतु आशायें अपने मॉड्यूल 6–7 का उपयोग करें)**	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	अभियान से पूर्व 15 जून से 02 जुलाई 2018 के मध्य

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
5	आई0ई0सी0 सामाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• भारत सरकार की वैब साइट www.nhm. gov.in अथवा उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm. gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध हैं IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों के साथ ही मुद्रित कराया जाए।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01 जून से 25 जून 2018 तक
6	माइक्रोप्लानिंग /कार्ययोजना (अ) जनपद स्तरीय कार्य योजना	• जनपद स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–4** में लगे प्रारूप के अनुसार पखवाड़े पूर्व तैयार करायी जाए तथा प्रतिलिपि राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	16 जुलाई 2018 तक
	(ब) ब्लाक स्तर कार्य योजना	• ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–5** में लगे प्रपत्र के अनुसार (मोबाइल टीमों का गठन कर जिंक ओ0आर0एस0 कार्नरों एवं सहयोगी अनुश्रवण हेतु अधिकारीयों को नामित कर तैयार कर जनपद को उपलब्ध करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एव बी0सी0पी0एम0 / बी0पी0एम0	12 जुलाई 2018 तक
	ग्राम स्तरीय कार्य योजना	• ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा एवं आशा द्वारा **संलग्नक–7** पर नियोजन व रिर्पोटिगं हेतु आशाद्वारा तैयार करायी जाए।	ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0पी0एम0	09 जुलाई 2018 तक
7	उदघाटन एवं कार्यक्रम का शुभारम्भ	• कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री / विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य से कराया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी	27 जुलाई 2018
8	आई0डी0 सी0एफ0 का अनुश्रवण	• राज्य स्तर द्वारा **संलग्गक –12**, जनपद स्तर पर **संलग्नक–13** एवं ब्लाक स्तर पर **संलग्नक–14** पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण पखवाडे की अवधि में अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इस निमित्ता एक्सेल प्रतिवेदन में संग्रह हेतु संलग्नक है। (कृपया इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन का संन्दर्भ ग्रहण करें।	समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि	27 जुलाई से 09 अगस्त, 2018

1– आशा द्वारा अपने गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले समस्त घरों का गृह भ्रमण एवं परिवार को परामर्श–

- पखवाडे से पूर्व आशा ग्राम स्तरीय प्लानिंग एवं क्रियान्वयन रिर्पोटिगं **संलग्नक–7** पर अपने गॉव के समस्त 5 वर्ष तक के बच्चो की सूची तैयार करेगी और चिंन्हित बच्चो के घरों में भ्रमण करेगी और पखवाड़े के दौरान प्रत्येक पात्र परिवार जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो उस घर में ओ0आर0एस0 को बनाने एवं उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा दस्त से बचाव के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी एवं **ओ0आर0एस0 का एक पैकेट परिवार का प्रदान किया जायेगा।** इसकी सूचना **संलग्नक–7** पर दी जानी है।

- अतः पखवाड़े से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 एवं जिंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये एवं जिंक ओ0आर0एस0 कार्नर एवं मोबाइल टीमों हेतु योजना बना ली जाये।
- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों वाले सभी घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण करेगी।

गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा ओ0आर0एस0 का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन किया जायेगा ताकि देखभालकर्ता को ओ0आर0एस0 घोल बनाने की सही तरीके की जानकारी सम्भव हो सके एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी भी दी जायेगी। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–

1. दस्त के दौरान बच्चों को ओ0आर0एस0 एवं तरल पदार्थ दिया जाये।
2. जिंक का भी उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को अवश्य किया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरान्त भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए। (**02 से 06 माह तक आधी गोली एवं 07 माह से 05 वर्ष तक एक गोली**) जिंक का प्रयोग करने से अगले 02 या 03 महीने तक डायरिया होने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. जिंक और ओ0आर0एस0 के उपयोग के उपरान्त भी डायरिया ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
4. बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, ऊपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
5. उम्र के अनुसार शिशु बाल पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाये।
6. पीने हेतु स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाये।
7. खाना बनाने से पूर्व एवं बच्चे का मल साफ करने के उपरान्त साबुन से हाथ धो लेना चाहिये।
8. डायरिया होने पर ओ0आर0एस0 और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
9. बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द कर दिया जाये।
10. डायरिया को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये।

बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

- पानी जैसा लगातार मल का होना।
- बार–बार उल्टी होना।
- अत्यधिक प्यास लगना।
- पानी न पी पाना।
- बुखार हो।
- मल में खून आ रहा हो।

- जिन घरों में 02 वर्ष तक के बच्चें हैं उनकी मांताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की भी जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।

नोट – पखवाड़े के मध्य दस्त रोग से यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो ऐसे केसों की जानकारी आशा अपने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य देगी। प्रभारी अधिकारी सभी केसों की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

2– जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर स्थापित करना

अ– ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य इकाई, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आगनंवाड़ी केन्द्रों और चिन्हित चिकित्सा इकाई/निजी चिकित्सालय/प्राईवेट प्रैक्टीशनर के यहां स्थापित किये जायें।
इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर आई0ए0पी0 (इण्डियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स) एवं आई0एम0ए0 (इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन) का भी सहयोग लिया जाये।

ब– ओ0आर0एस0 जिंक कार्नर को स्थापित करने के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में पूर्ण जानकारी दी गयी है अपने स्तर से इसकी प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर स्थापित करने के लिये उपलब्ध करा दें।

3– ओ0आर0एस0 एवं जिंक हेतु आशाओं को डिपो के रूप में स्थापित करना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा के पास अतिरिक्त ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता हर समय रहे। आशा द्वारा यदि उनका उपयोग कर लिया जाये तो सम्बन्धित ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने स्टोर से इसकी आपूर्ति करते रहें।

4– शहरी क्षेत्रों एवं सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का गठन कराना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन शहरों में घुमन्तु परिवार, खानाबदोस, अन्य असेवित समाज के बच्चों हेतु ओ0आर0एस0 के उपयोग के प्रति बढावा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाय एवं जिकं ओ0आर0एस0 कार्नर की स्थापना सुनिश्चित की जाय। दस्त से ग्रसित बच्चो को आवश्यकता अनुसार जिंक और ओ0आर0एस0 प्रदान कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाये।

5– हाथ धोने का प्रर्दशन सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं वी0एच0एन0डी0 सत्रों पर किया जाये।

जनपद के समस्त स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं वी0एच0एन0डी0 सत्र पर इस गतिविधि को आयोजित किया जाना है साथ ही आर0बी0एस0के0 टीमें भी अपने नियमित भ्रमण के दौरान इस पखवाड़े के मध्य अपनी देख–रेख में इस गतिविधि को आयोजित करायें तथा क्षेत्र के अन्य छूटे हुये स्कूलों में भी भ्रमण के समय गतिविधि को आयोजित कराते रहें।

अ– जनपद के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में गतिविधि आयोजित की जाये साथ ही प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाना है।

ब– हाथ धोने के सही तरीके के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने एवं हाथ धोने के स्थान पर पोस्टर लगाये जायें।

स– पखवाड़े के दौरान प्रति–दिन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व के विषय में जानकारी दी जाये।

द– समस्त स्कूलों में प्रति दिन मिड डे मील के समय सभी बच्चों को पोस्टर में दिये गये चरणों के अनुसार साबुन–पानी से हाथ धोना सिखाया जाये।

6– पखवाड़ा मनाये जाने हेतु सामान्य गतिविधियां –

1. **जनपद स्तर पर पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया जाये। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य व्यक्ति से कराया जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0/आई0एम0ए0/पी0आर0आई0/आई0सी0डी0एस0/शिक्षा विभाग एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।**
2. ए0एन0एम0 अपने पूर्व निर्धारित वी0एच0एन0डी0 अनुसार संलग्नक–06 पर योजना बनाकर पखवाड़े के दौरान भ्रमण करेगी।
3. प्रतिरक्षण कार्य के अतिरिक्त इस पखवाड़े की जानकारी समुदाय में देगी। गंभीर दस्त रोग के हानिकारक प्रभाव, दस्त रोग की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, स्तनपान आदि विषयों पर चार्ट, पोस्टर जैसे मुद्रित सामग्री एवं अपने फ्लिपबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। ओ0आर0एस0 घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी। वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 सत्र में आने वाली माताओं को ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगी तथा आवश्यकता के अनुसार पैकेट वितरण करेगी।
4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को इस पखवाड़े की जानकारी देकर ग्राम में स्वच्छता का प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरेलू शौचालय के लाभ एवं निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाओं से निर्माण में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाये।
5. **विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण–** दस्त प्रबंधन गतिविधियों के विषय में समस्त कार्यकर्ताओं को विशेष बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाए तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में तथा उसमें प्रयोग होने वाले रिपोर्टिंग प्रपत्र की जानकारी दी जाये तथा प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जायें।
6. **अन्य विभागों से समन्वय–** जनसमुदाय को जागरूक करने के लिए अन्य विभागों से समन्वय कर रेडियो एवं न्यूज़ पेपर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए तथा अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग, इंडियन एकैडमी आफ पीडियाट्रिक्स, आई0एम0ए0 से समन्वय स्थापित किया जाए इसके अतिरिक्त दस्त प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहीं स्वैच्छिक सहयोगी संस्थायें (UNICEF, UP-TSU, Nutrition International, Save the Children) तथा जनपद में कार्य कर रही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उक्त पखवाड़े का आयोजन किया जाये।

7– आई0ई0सी0 एवं प्रचार प्रसार

उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित संचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये –

- स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार।
- आकाशवाणी।
- दूरदर्शन।
- प्रेस कॉन्फ्रैन्स।
- अन्तर्वैयक्तिक संचार (Inter-Personal Communication).
- गोष्ठी, महिला/बालिकाओं के विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, आदि।
- बैनर, पोस्टर, एवं हैण्डबिल, दीवाल लेखन।
- एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

नोट– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई0ई0सी0 मेटीरियल,पोस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार की वैब साईट www.nrhm.gov.in. एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वैब साइट www.upnrhm.gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी0वी0 एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध है, उक्त आई0ई0सी0 सामग्री को डाउनलोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाये।

8– आशा के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि –

आशाओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट का वितरण करने हेतु रू0 01 प्रति पैकेट की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा, इस पखवाडा हेतु प्रति आशा को प्रोत्साहन **राशि रू0 100/–** खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

9– शहरी क्षेत्र हेतु रणनीति –

- मोबाइल टीमों द्वारा पखवाड़े हेतु **संलग्नक–08** पर योजना बनाकर सफल संचालन करना।
- जिला चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला में इस पखवाड़े के बैनर पोस्टर लगाये जायें।
- स्थानीय रेडियो, एफ0एम0 रेडियो पर इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर पंचायत वार्ड के कर्मचारियों आदि द्वारा मलिन बस्ती में घर–घर जा कर ओ0आर0एस0 पैकट वितरण कराया जाये। जनपदों में शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्थापित है उनका भी इस अभियान में सहयोग लिया जाये।
- मेडिकल कॉलेजों, शहरी हैल्थ पोस्ट/डिसपैन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा प्राईवेट नर्सिंग होम/क्लीनिक, आदि में भी ओ0आर0 एस0 कॉर्नर स्थापित कराये जाये इसमें स्थानीय इण्डियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आई0ए0पी0) एवं इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आई0एम0ए0) का सहयोग लिया जाये।

10– रिपोर्टिंग –

- अभियान के प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त आशा अपनी रिपोर्ट निर्धारित **संलग्न प्रपत्र–07** पर ए0एन0एम0 को प्रेषित करेगी।
- आशा से प्राप्त रिपोर्ट ए0एन0एम0 संलग्न उपकेन्द्र **प्रपत्र संख्या–09** पर संकलित कर सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 02 दिन के अन्दर जमा करेगी।
- ए0आर0ओ0/बी0सी0पी0एम0 प्राप्त रिपोर्टों को ब्लाक स्तरीय रिर्पोटिगं **प्रपत्र संख्या–10** पर संकलित कर, उसकी रिर्पोट 02 दिन के अन्दर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगें।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा एवं जॉच करते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के उपरान्त संकलित **रिपोर्ट प्रपत्र–11** पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को पखवाड़े के उपरान्त 02 दिन के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

नोट – भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन एवं टूल किट ई–मेल द्वारा साथ में प्रेषित किया जा रहा है। अवलोकन कर उक्त पखवाड़े का माइक्रोप्लान तैयार कर पखवाड़े को सफल बनायें।

11– वित्त पोषण –

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। स्वीकृत की गयी धनराशि की सीमा तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध Uncommitted/ unspent धनराशि से किया जाये एवं व्यय विवरण जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष सम्बन्धित FMR Code में ही अंकित किया जाना है, व्यय विवरण वित्त अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) **के आयोजन हेतु** FMR Code-9.5.2.23 **पर** One day orentation meeting for IDCF **गतिविधि के लिये,** FMR Code- 12.2.7 **पर** IEC and Printing Cost **के लिये,** FMR Code- 6.2.2.8.c **पर** Procurement of ORS Pkt. **के जनपद स्तर पर क्रय के लिये तथा** FMR Code- **3.1.1.7 पर** ASHA **प्रतिपूर्ति राशि के लिये धनराशि मदवार तथा जनपदवार संलग्न तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को स्वीकृत की गयी है।**

- **जनपद स्तर पर ओ0आरएस0 पैकेट का क्रय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से संचालित "UPDVDMS" (Uttar Pradesh Drugs and Vaccine Distribution Management System) पर उपलब्ध दर अनुबन्ध के आधार पर नियमानुसार किया जाना है। ओ0आर0एस0 पैकट का क्रय आदेश समय से निर्गत कर उपलब्धता सुनिश्चित करायें।**

- **सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) दिनांक 27 जुलाई से 09 अगस्त 2018 के मध्य मनाये जाने हेतु गतिविधियों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सापोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत उपलब्ध वाहनों एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक को उपलब्ध कराये गये वाहन का उपयोग किया जायेगा।**

12– एस्पिरेशनल जनपदों (Aspirational districts) हेतु अतिरिक्त योजना –

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 08 जनपदों (श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, चन्दौली, सोनभद्र एवं फतेहपुर) को एस्पिरेशनल जनपदों (Aspirational districts) के रूप में चिहिन्त किया गया है। इन सभी जनपदों में IDCF-2018 के क्रियान्वयन की समस्त गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना है जैसे ओ0आर0एस0 पैकेट एवं जिंक टैबलेट का जनपद स्तर पर क्रय तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य केन्द्रों का अभिमुखीकरण एवं जनसमुदाय में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इन सभी जनपदों में IDCF-2018 के क्रियान्वयन की समस्त गतिविधियों का निरीक्षण राज्य स्तरीय अधिकारियों (मॉनीटर) द्वारा किया जायेगा। विद्यालयों में हाथ धोने की प्रक्रिया एवं शौंचालयों के उपयोग के महत्व को समझाने हेतु गतिविधियां संचालित की जायेगी। साथ ही स्कूलो में पानी की टंकियों की सफाई भी इस दौरान अवश्य की जाये।

13– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) के दौरान जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी /नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति–दिन क्षेत्र का भ्रमण एवं कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण करेंगें साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लाक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक भी अलग–अलग क्षेत्रों में जा कर कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगें तथा अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण उ0प्र0 से समन्वय स्थापित कर पखवाड़े के दौरान जनपदों भ्रमण कर कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस पखवाड़े में विशेष भ्रमण कार्यक्रम बना कर इस पखवाड़े का अनुश्रवण करने का कष्ट करें, तथा अपनी आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें तथा प्रति जनपद 01 मण्डलीय संयुक्त निदेशक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रम सफल संचालन सुनिश्चित करें।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम दिनांक 27 जुलाई 2018 से 09 अगस्त 2018 के माध्य मनाये जाने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 के ई–मेल–jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल–gmchildhealthnrhm@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, प0क0 महानिदेशालय के मो0न0 09415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/IDCF/35/2018–19/1778-75(19) दिनांक /05/2018

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
15. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
16. महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेन्ट/नियमित टीकाकरण/कम्युनिटी प्रोसेस/आई0ई0सी0/आर0बी0एस0के0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 उ0प्र0 लखनऊ।
17. समस्त, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
18. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
19. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल (एन0आई0), सेव दा चिल्ड्रेन, लखनऊ, उ0प्र0।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक